

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-9/विविध-13-01/2025(स्वा०)/ पटना, दिनांक:-.....

डॉ० राज आर्यन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आथर, नवानगर, बक्सर द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया है कि वे चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आथर, नवानगर, बक्सर के पद पर दिनांक-16.09.2020 से प्रभार ग्रहण कर कार्य कर रहे थे। इस बीच कुछ पारिवारिक कारण से दिनांक-12.10.2021 से अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित रहें। सिविल सर्जन, बक्सर के समक्ष दिनांक-27.08.2024 को योगदान समर्पित करने के उपरान्त सिविल सर्जन, पत्रांक-3061 दिनांक-27.08.2024 के द्वारा डॉ० आर्यन का योगदान स्वीकार करने पर मार्गदर्शन माँग की गयी।

2. सिविल सर्जन, बक्सर के द्वारा डॉ० राज आर्यन के योगदान संबंधी आवेदन पर याचित मार्गदर्शन के संबंध में समीक्षोपरान्त डॉ० राज आर्यन का आवेदन को स्वीकार करते हुए पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राज आर्यन को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० राज आर्यन का योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० राज आर्यन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आथर, नवानगर, बक्सर के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/विविध-13-01/2025(स्वा०) 166(9) / पटना, दिनांक:- 25.2.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राज आर्यन के कर्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-डॉ० राज आर्यन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आथर, नवानगर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
25/02/2025
सरकार के अवर सचिव।